संख्या18/2016/142/41-2016-177 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 फरवरी 2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1954/15-1-1-838(19) टी0टी0/2016, दिनॉक-22-01-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पर्यटन विभाग की आयोजित बैठक एवं आयोजनों में होने वाले व्यय की धनराशि के भुगतान हेतु 08-प्रदेश में वायु सेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डर्राईट हेतु-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से 03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-42-अन्य व्यय मद में रू0 155.00 लाख (रू0 एक करोड पचपन लाख मात्र) की एवं 03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-19-विज्ञापन विक्री एवं प्रख्यापन मद में धनराशि रू0 69.00 लाख (रूपये उनहत्तर लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 224.00 लाख (रूपये दो करोड चौबीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था के सम्बनध में सक्षम स्तर का कार्य कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-आयोजनागत-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-प्रदेश में वायु सेवा सुविधा के सम्बन्ध में सीट अण्डर्राईट हेतु-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-42-अन्य व्यय एवं लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-19-विज्ञापन विक्री और प्रख्यापन के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आर0ई0 350/दस-2016 दिनांक- 08.02.2016 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-19/2016/142(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in